न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–श्री हेमेन्द्र नागर, आरएएस,

प्रकरण संख्याः– 12/2017 (गुण्डा एक्ट)

दायर दिनांकः– 01.11.2017

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

——————————प्रार्थी

बनाम

श्री शोभाराम पिता लालाजी मोची निवासी अरनोद जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

————————अप्रार्थी/गैरसायल

:–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975–:

उपस्थितः–1–श्री मनोहर लाल कुमावत– अधिवक्ता गैरसायल

:–निर्णय–: दिनांकः– 30 नवम्बर 2017

1–श्रीमान् कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेशांक/सरिश्ता/आदेश/2010/1571–1575 दिनांक 22.12.2010 से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को दिये जाने से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है । संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्व अप्रार्थी/ गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल व्यक्ति बदमाश प्रवृति का होकर जुआं सट्टा खेलने का आदि है इसके विरूद्ध कोई ग्वाही देने की हिम्मत नही करता है । अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 04 प्रकरण पंजीबद्व होकर, सक्षम न्यायालय से दोषी करार जुर्माने से दण्डित किया गया है। अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्व निम्नांकिंत संज्ञेय अपराधों की ईत्तला रिपोर्ट थाना अरनोद में दर्ज होकर, प्रकरणवार नतीजा न्यायालय उसके सामने अंकित हैः–

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	तारीख दायर	अंतिम रिपोर्ट पुलिस	निर्णय न्यायालय
328/2012	13 आर.पी.जी.ओ.	28.11.12	202/2012	दिनांक 04.02.14 को दोषी करार एवं 100/– रू. जुर्माने से दण्डित
388/2014	13 आर.पी.जी.ओ.	18.11.14	215/2014	दिनांक 23.12.14 को दोषी करार एवं 100/– रू. जुर्माने से दण्डित
410/2014	13 आर.पी.जी.ओ.	19.12.14	239/2014	दिनांक 14.01.15 को दोषी करार एवं 100/–रू जुर्माने से दण्डित
192/2015	13 आर.पी.जी.ओ.	14.07.15	118/2015	दिनांक 04.08.15 को दोषी करार एवं 100/–रू जुर्माने से दण्डित

प्रार्थना पत्र ताईद में प्रथम सूचना रिपोटर्स, चार्ज शीट्स एवं सक्षम न्यायालय में निर्णय की सत्यापित प्रतियॉ पेशकर, अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की ।

2–मामला बाद पंजीबद्व कर, अप्रार्थी / गैरसायल को नोटीस जारी किया गया । अप्रार्थी/ गैरसायल अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित और जवाब में अपने उपर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया तथा वर्तमान में उक्त आरोपों के अनुसार कोई कार्य नही करना बताया।

3– गैरसायल अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा उपरोक्त पंजीबद्व प्रकरणों में गैरसायल के विरूद्व चल रही प्रकरण की कार्यवाही दिनांक 21.01.2016 को ड्रॉप की जा चुकी है। पुनः उन्ही चारों प्रकरणों का हवाला देते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो खारीज योग्य है।

4–हमने विद्वान अधिवक्ता गैरसायल की बहस को ध्यान से सुना और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया । जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी 'गुण्डा' कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो । जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरूद्व अप्रार्थी/ गैरसायल के 4 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना का प्रकरण दिनांक 18.11.2015 को ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था एवं दिनांक 21.01.2016 को प्रकरण की कार्यवाही न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी थी। पुनः उन्ही प्रकरणों का हवाला दिये जाकर इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है, जो खारीज योग्य है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 गैरसायल के विरूद्व दायर प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है एवं थानाधिकारी अरनोद को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक से 3 माह तक गैरसायल की गतिविधियो पर नजर रखे। इन 3 माह की अवधि में यदि गैरसायल द्वारा कोई ऐसा कृत्य फिर किया जाता है तो सूचना पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के मार्फत इस न्यायालय को भिजावे। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़/थानाधिकारी अरनोद को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(हेमेन्द्र नागर)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते